फा.सं.08/02/2025-रा.भा.(सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय/ राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-॥ भवन, बी विंग, चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 11 सितंबर, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राजभाषा विभाग के SPARROW पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) सृजन की प्रगति एवं आवश्यक निर्देश।

जैसा कि विदित है कि राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक **21 अगस्त, 2025 के** समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2024-25 से Central Secretariat Official Language Service (CSOLS) cadre के कार्मिकों हेतु SPARROW पोर्टल पर APAR सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

2. तथापि, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह पाया गया है कि लगभग 700 अधिकारियों/कर्मचारियों में से अब तक केवल **लगभग 260** APAR ही सृजित किए गए हैं तथा अभी भी कई मंत्रालयों/विभागों से Custodian नामित नहीं किए गए हैं, जिससे APAR सृजन की समयबद्ध प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

3. यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में APAR सृजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित कठिनाइयाँ आ रही हैं:-

- संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का डाटा SPARROW पोर्टल पर उपलब्ध न होना।
- Custodian का नामांकन लंबित रहना।
- अन्य कैडर के अधिकरियों नाम का ग्लोबल डाटा में न होना।
- PIMS (Personal Information Management System) में CSOLS अधिकारियों की सेवा प्रविष्टि अन्य संवर्ग (CSS/CSSS/अन्य) के अंतर्गत अंकित होना।
- लॉगिन करते समय “User Not Found” अथवा “Data Not Mapped” जैसी तकनीकी त्रुटियों का आना।

4. विशेष रूप से, यह देखा गया है कि अनेक मामलों में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा प्रविष्टि PIMS में Central Secretariat Official Language Service (CSOLS) cadre के अंतर्गत दर्ज न होकर अन्य संवर्गों (जैसे CSS, CSSS, No Service अथवा स्थानीय प्रविष्टि कोड) के अंतर्गत दर्ज कर दी गई है। यह त्रुटि सामान्यतः प्रशासन द्वारा eOffice खाता बनाते समय CSOLS संवर्ग की सही जानकारी न होने के कारण हो जाती है। जब तक PIMS में यह सुधार नहीं किया जाता, संबंधित अधिकारी की जानकारी SPARROW पोर्टल (https://sparrow.rajbhasha.gov.in) पर उपलब्ध नहीं होगी और Custodian भी उनका APAR सृजित नहीं कर सकेगा।

5. अतः सभी मंत्रालयों/विभागों/CSOLS के कार्मिकों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासन अनुभाग के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि CSOLS अधिकारियों की सेवा प्रविष्टि PIMS में सही ढंग से CSOLS cadre के अंतर्गत अद्यतन की गई हो। जिन अधिकारियों को यह समस्या आ रही है, वे तत्काल अपने प्रशासन से संपर्क करें अथवा **soservice-dol@gov.in** पर अपना नाम, पदनाम, मंत्रालय/विभाग का नाम, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर एवं त्रुटि का स्क्रीनशॉट भेजें। NIC Sparrow team के सहयोग से समस्या का समाधान कराते हुए उन्हें ईमेल द्वारा अद्यतन सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राजभाषा SPARROW पोर्टल का लिंक अन्य संवर्गों (जैसे CSS, CSSS आदि) के SPARROW पोर्टल के लिंक से भिन्न है। अतः CSOLS अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में केवल https://sparrow.rajbhasha.gov.in पर ही लॉगिन किया जाना अपेक्षित है।

7. चूँकि CSOLS संवर्ग के लिए SPARROW पोर्टल पर APAR प्रक्रिया पहली बार लागू की जा रही है, व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में Auto Forward विकल्प को सक्रिय नहीं किया गया है परंतु इसे शीघ्र ही अद्यतन किया जाएगा। तथापि, सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि APAR समयबद्ध रूप से सृजित हो जाएं।

8. उल्लेखनीय है कि चूंकि राजभाषा विभाग, केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (CSOLS) संवर्ग के रूप में कार्यरत है, अतः पारंपरिक APAR की तरह ही SPARROW प्रणाली में भी राजभाषा विभाग की भूमिका केवल संवर्ग नियंत्रण अधिकारी के रूप में है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय, जहाँ-जहाँ CSOLS संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, APAR सृजन करने की प्रक्रिया की शुरुआत प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय स्तर पर नामित Custodian Nodal Officer द्वारा की जानी है, जिसमें संबंधित अधिकारी के लिए रिपोर्टिंग एवं समीक्षा अधिकारियों का निर्धारण एवं अद्यतन करना भी शामिल है। अतः अनुरोध है कि जिन मंत्रालयों/कार्यालयों से अभी तक PAR Custodian नामित नहीं किए गए हैं, वे तत्काल **soservice-dol@gov.in** पर जानकारी प्रेषित करें ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 का APAR चक्र नियत अवधि में पूर्ण किया जा सके।

9. किसी भी तकनीकी कठिनाई की स्थिति में संबंधित विवरण soservice-dol@gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

राजेश
11/9/25

(राजेश कुमार)
सहायक निदेशक(सेवा)
दूरभाष: 011-23438125

संलग्नक: यथोक्त(APAR प्रक्रिया की समय-सीमा)

प्रतिलिपि :

सेवा में,

1. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना), संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से।
2. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के राजभाषा अनुभाग के नियंत्रण अधिकारियों को राजभाषा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से।
3. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी अधिकरियों/कर्मचरियों को वेबसाइट के माध्यम से।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, एन.आई.सी.। कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
5. गार्ड फ़ाइल।

अनुलग्नक-I

रिपोर्टिंग वर्ष 2024-25 के लिए CSOLS के अधिकारियों/कर्मचारियों की APAR प्रक्रिया के सृजन व रिपोर्टिंग की समय-सीमा

क्रम संख्या	कार्य	पूर्ण करने की अंतिम तिथि
1	PAR Custodian द्वारा APAR फॉर्म का Workflow, Generation तथा संबंधित अधिकारियों को वितरण	20 सितंबर, 2025 (पूर्व भी संभव)
2	CSOLS अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी (Reporting Officer) को स्व-मूल्यांकन की प्रस्तुति	30 सितंबर 2025
3	रिपोर्टिंग अधिकारी (Reporting Officer) द्वारा पुनरीक्षण अधिकारी (Reviewing Officer) को रिपोर्ट प्रेषण	20 अक्तूबर, 2025
4	पुनरीक्षण अधिकारी (Reviewing Officer) द्वारा समीक्षा पूर्ण कर स्वीकृति अधिकारी (Accepting Authority) को अग्रेषण	10 नवंबर 2025
5	स्वीकृति अधिकारी (Accepting Authority) द्वारा मूल्यांकन (जहाँ लागू हो)	20 नवंबर 2025
6	संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट का प्रकटीकरण	30 नवंबर 2025
7	प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आपत्ति दर्ज करना	प्रकटीकरण की तिथि से 15 दिन के भीतर
8	आपत्ति को सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करना	प्राप्ति से 07 दिन के भीतर)
9	आपत्ति पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय	प्राप्ति से 02 सप्ताह के भीतर
10	निर्णय का संप्रेषण APAR सेल को	31 दिसंबर 2025
11	अंतिम लॉकिंग और रिकॉर्ड में दर्ज करना	10 जनवरी 2026